डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 मई 2001—वैशाख 15, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भंवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-8/2001/वा.क./पांच/632.—छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिये, उसके सारणी के कालम 4 में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)			अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	एफ. एल. 2 अनुज्ञप्ति (सार्वजनिक गृह या (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति).	(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 3,00,000 प्रति वर्ष
		(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, और	रुपये 3,50,000 प्रति वर्ष

(1)	(2)			(3)
		(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 4,00,000 प्रति वर्ष
2.	एफ. एल. 3 अनुज्ञप्ति (होटल बार अनुज्ञप्ति).	(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 5,00,000 प्रति वर्ष
		(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, और	रुपये 6,00,000 प्रति वर्ष
		(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 7,00,000 प्रति वर्ष
3.	एफ. एल. 10 अनुज्ञप्ति (विनिर्माणकर्त्ता की वितरण अनुज्ञप्ति).			रुपये 8,00,000 प्रति वर्ष
4.	एफ. एल. 1 ख (अहाता अनुज्ञप्ति).	(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 1,50,000 प्रति वर्ष
		(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, और	रुपये 2,00,000 प्रति वर्ष
		(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 3,00,000 प्रति वर्ष

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2001 से प्रवृत्त होगी.

Raipur, the 29th March 2001

NOTIFICATION

No. F/10-8/2001/C.T.D./V/632.—In exercise of the powers conferred by sub rule (2) of Rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules 1996, the State Government hereby prescribe the annual licence fees as shown in column 4 of the table below for different kinds of licences mentioned in the corresponding entry in column 2 thereof :—

TABLE

S. No. (1)	Kind of Licence (2)			Licence Fees (3)
1.	FL 2 licence (Public house or Restaurent Bar).	a.	For a town/place of which the population does not exceed one lac,	Rs. 3,00,000 per annum.
		b.	For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceed three lacs, and	Rs. 3,50,000 per annum.
		c.	Foa a town/place of which the population exceeds three lacs.	Rs. 4,00,000 per annum.
2.	FL 3 Licence (Hotel Bar Licence).	a.	For a town/place of which the population does not exceed one lac,	Rs. 5,00,000 per annum.
		b.	For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceed three lacs, and	Rs. 6,00,000 per annum.
		c.	For a town/place of which the population exceeds three lacs.	Rs. 7,00.000 per annum.
3.	FL 10 Licence (Manufacturers Distribution Licence).			Rs. 8,00,000 Per annum.
4.	FL 1 B (Ahata Licence).	a.	For a town/place of which the population does not exceed one lac,	Rs. 1,50,000 per annum.
		b.	For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceed three lacs, and	Rs. 2,00,000 per annum.
		c.	For a town/place of which the population exceeds three lacs.	Rs. 3,00,000 per annum.

This notification shall come into force with effect from 1st April 2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.